



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

2 श्रावण 1948 (श10)  
(सं0 पटना 882) पटना शुक्रवार 24 जुलाई 2026

---

सं० अ०सं०क०-11-अ०आ०वि०-10/2026-426  
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प  
21 जुलाई 2026

विभागीय संकल्प संख्या-441, दिनांक-23.05.2018 एवं विभागीय स्वीकृतिदेश सं०-3294, दिनांक-26.12.2023 द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना की स्वीकृति वर्ष-2018-19 में प्रदान की गई है। उक्त योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 560 आवासन क्षमता वाले कम-से-कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है, ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रक्षेत्रों यथा-मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।

उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले में निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए तत्काल 13 आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु वर्ग-09वीं से 12वीं तक के विभिन्न कोटि के पद के सृजन की स्वीकृति प्राप्त है। प्रत्येक अल्पसंख्यक विद्यालय अन्तर्गत वर्ग-09वीं से 12वीं तक में छात्र/छात्रा के आवासन की कुल संख्या-560 निर्धारित है। प्रत्येक विद्यालय में 50% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। छात्र और छात्राओं दोनों वर्गों में 75% ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए सीट आरक्षित है। वर्तमान में दरभंगा एवं किशनगंज जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित है तथा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नालन्दा एवं कैमूर, जमुई (कैम्प नालन्दा) एवं मुजफ्फरपुर (कैम्प कैमूर) में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित किया जाना है।

विभागीय पत्रांक-2645, दिनांक-10.07.2026 द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालन्दा एवं कैमूर, जमुई (कैम्प नालन्दा) एवं मुजफ्फरपुर (कैम्प कैमूर) के वर्ग-09वीं एवं 11वीं (कला/विज्ञान संकाय) में छात्र/छात्राओं के नामांकन हेतु मेधासूची प्रकाशित किया गया है, जिसमें संबंधित छात्र/छात्राओं को नामांकन हेतु

विद्यालय आवंटित करने हुए दिनांक-25.07.2026 से 31.07.2026 तक संबंधित विद्यालय में नामांकन कराने का निदेश दिया गया है। छात्र/छात्राओं का नामांकन राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से लिया जा रहा है। इसमें विद्यालय का आवंटन मेरिट-कम-चॉइस के आधार पर किया जा रहा है।

जिन छात्र/छात्राओं को नामांकन हेतु जमुई अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय आवंटित हुआ है, उनका नामांकन एवं शैक्षणिक कार्य तत्काल अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, देवीसराय, चकरसलपुर, डी०टी०ओ० ऑफिस रोड, नालन्दा-803101 में संचालित होगा।

जिन छात्र/छात्राओं को नामांकन हेतु मुजफ्फरपुर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय आवंटित हुआ है, उनका नामांकन एवं शैक्षणिक कार्य तत्काल अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नौधरा, उदयरामपुर, चैनपुर (बख्तियार खान मजार, वार्ड नं०-01 के नजदीक) -821103 कैमूर में संचालित होगा।

जमुई एवं मुजफ्फरपुर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित कैम्प विद्यालय में आवासित छात्र/छात्राओं को अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जमुई एवं मुजफ्फरपुर में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
इब्रार अहमद खॉं,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 882-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>